प्रति निर्णय दिनांक 21-10-2019
अपील सं. 18/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स पद अपीलांट: भरतकुमार बनाम रेस्पोडेन्टस: जेठाराम, वगैरह अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधि. 1956	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.2019	अपीलांट के वकील श्री प्रभूसिंह राजपुरोहित उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील तेजसिंह बालावत् उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से सरकारी वकील श्री छोटूसिंह उपस्थित। यह अपील संभागीय आयुक्त महोदय,जोधपुर के न्यायालय से आदेश दिनांक 4.9.2019 (अपील सं. 12/2019)द्वारा अपीलांट को सक्षम स्तर पर पेश करने हेतु लौटाई गई है। अपीलांट वकील की ओर से श्री प्रभूसिंह राजपुरोहित वकील द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 13.9.2019 को प्रस्तुत की गई है ,दर्ज रजिस्टर की गई तथा शेष रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.9.2019 को प्रार्थी जेठाराम पुत्र भीमाराम के वकील द्वारा एक कैवियट प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण भरतकुमार पुत्र जगताजी उर्फ जगताराम व राज.सरकार जरिए तहसीलदार जालोर के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जो मूल ही इस अपील के संलग्न किया गया। रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने दिनांक 15.10.2019 को एक प्रार्थनापत्र पेश किया कि यह अपील तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 6.6.2018(प्रकरण सं. 1/2018) के विरूद्ध पेश की गई है,तहसीलदार जालोर ने उक्त निर्णय धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् लैण्ड रेकर्ड अधिकारी की हैसियत से पारित किया गया है जिसकी अपील सुनने का अधिकार निदेशक, लेण्ड रेकर्ड को है, अतः उक्त अपील क्षैत्राधिकार में नहीं होने के कारण क्षैत्राधिकार क आधार पर खारिज करावे। उभयपक्ष के वकुलाय की बहस दरख्वास्त सुनी गई। रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जालोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.6.2018 अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956,लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर (भू अभिलेख अधिकारी) की हैसियत से पारित किया गया है जिसकी अपील जिला कलेक्टर को नहीं होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75(एफ) के अनुसार निदेशक, भू अभिलेख, संभागीय आयुक्त व अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत की जाती है, अतः माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय तुलसी बनाम परमेश्वर, RLW2004 RJ 551 व 2004 RRD page 101 तथा RRD 1989 page 266-268, Daya Bharati V. Daya Bharati के निर्णय की पालना में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत् यह अपील अपीलांट को लौटाई जाती है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर, बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में पढकर सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.13 18:43:46 IST
Reason: SelfAttested